न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 93 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. भंवरसिंह 2. शम्भुसिंह पिसरान भूरसिंह जातिगण राजपुत निवासीगण धंधेडी तहसील सोजत जिला पाली राज0।		1. सरकार जरिये तहसीलदार भूमि धारक सोजत जिला पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 03/03/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम धन्धेड़ी पटवार हल्का मण्ड़ला तहसील सोजत में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जिसके ख.नं. 127, 128, 147 से 151, 440, 656 कुल खसरा 09 कुल रकबा 13.4800 है0 हैं। रिवाईज्ड सेटलमेन्ट के गत खसरा संख्या 240 रकबा 79 बीघा 5 बिस्वा एवम् खसरा संख्या 241 रकबा 11 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थीगण के पति / पिता भुरसिंह पुत्र भैरूसिंह की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित थी, भूरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। सेटलमेन्ट के दौरान गत खसरा नम्बर 240 से नये खसरा नम्बर 127 रकबा 3.4300 हैक्टर, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 रकबा 5.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 / 1 रकबा 0.6400 हैक्टर, खसरा नम्बर 148 रकबा 1.3700 हैक्टर, खसरा नम्बर 151 रकबा 1.0200 हैक्टर बने एवम् खसरा नम्बर 241 से नये खसरा नम्बर 149 रकबा 0.0100 हैक्टर एवम् खसरा नम्बर 150 रकबा 0.0400 हैक्टर बने। इस प्रकार गत खसरा नम्बर 240 व 241 का कुल रकबा 79 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि है, लेकिन उक्त कृषि भूमि के नये खसरा नम्बर बनाते समय सेटलमेन्ट अधिकारीयो ने प्रार्थीगण के खसरा का रकबा कम दर्ज करते हुए कुल 12.1700 हैक्टर यानि 76 बीघा कृषि भूमि ही दर्ज की गई तथा प्रार्थीगण की 3 बीघा कृषि भूमि कम दर्ज कर दी गई। सेटलमेन्ट अधिकारीयो को किसी खातेदार की कृषि भूमि को कम करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था, सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारीयो को रेकर्ड की प्रविष्ठि को दौहराने का ही अधिकार था रकबा परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था, उसके बावजूद भी सैटलमेन्ट अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए प्रार्थीगण की 03 बीघा कृषि भूमि कम दर्ज कर दी गई। गत सैटलमेन्ट का गत खसरा नम्बरान का नक्शा देखने से स्पष्ट है कि गत खसरा संख्या 240, 242 के उत्तरी तरफ स्थित रास्ता के गत खसरा संख्या 239 थे, जो रास्ता की चौड़ाई कम थी तथा खसरा संख्या 239 से जुड़ते हुए खसरा नम्बर 240 व 242 की भूमि स्थित थी, खसरा नम्बर 239 व 240 व 242 के बीच में किसी प्रकार की कोई गै. मु. आगोर की भूमि स्थित नहीं थी। सैटलमेन्ट अधिकारीयो ने प्रार्थीगण के गत खसरा संख्या 240 की भूमि को गत खसरा संख्या 239 व 231 की भूमि को सम्मिलित लेते हुए वर्तमान खसरा संख्या 446 में बिना अधिकार के जोड़ते हुए आगौर की भूमि बता दी गई, जो राजस्व रेकर्ड नक्शा से भली भांति बखूबी साबित हो रहा है। गत खसरा संख्या 231मी. से वर्तमान खसरा संख्या 446 व 447 बनना बताया गया है, जबकि खसरा नम्बर 231 की भूमि खसरा नम्बर 239 की भूमि के उतरी तरफ स्थित है, तथा खसरा नम्बर 240 की भूमि गत खसरा संख्या 239 के दक्षिणी तरफ स्थित है, ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 231 की भूमि, खसरा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

संख्या 239 के दक्षिणी तरफ आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सेटलमेन्ट अधिकारीयो ने प्रार्थीगण के गत खसरा संख्या 240 की 16 एयर कृषि भूमि खसरा संख्या 446 में मिला दिया गया तथा खसरा नम्बर 446 का रकबा 4.0200 हैक्टर दर्ज कर दिया गया जबकि वर्तमान खसरा नम्बर 127 की उतरी तरफ खसरा नम्बर 446 में उतरी माठ के सहारे सहारे 16 एयर बीघा भूमि प्रार्थीगण की हक हकूक की है, जिस पर प्रार्थीगण का उनके पूर्वजो के समय से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेन्ट अधिकारीयो ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए खसरा नम्बर 127 की 16 एयर कृषि भूमि खसरा संख्या 446 में जोड़ दी गई, जो राजस्व रेकर्ड जमावन्दी खसरा मिलान एवम् राजस्व रेकर्ड नक्शा से भली भांति साबित है तथा मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। प्रार्थीगण वर्तमान खसरा संख्या 446 रकबा 4.0200 हैक्टर में से रकबा 0.1600 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण की वर्षो पुरानी ट्यूबवेल खुदी हुई है, जिस पर विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का आवपासी कर फसल प्राप्त करता है तथा प्रार्थीगण की आय का एकमात्र स्त्रोत उक्त कृषि भूमि ही है। हाल ही में उक्त ट्यूबवेल के स्थान को पटवारी हल्का द्वारा राज्य सरकार की भूमि होना बताया तब प्रार्थीगण ने कहा कि वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज है तथा पिता के जीवनकाल से काश्त करते चले आ रहे है। तब प्रार्थी को उक्त भूमि से कब्जा छोड़ने की बात कही तो प्रार्थीगण ने कहा कि एक बार सभी कागजात देखने दो। तब प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयो, खसरा मिलान एवम् नक्शा की नकले प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि दौराने सैटलमेन्ट सैटलमेन्ट अधिकारीयो ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 127 की 16 एयर कृषि भूमि कम दर्ज करते हुये खसरा संख्या 446 में मिला दी गई तथा तहसीलदार सोजत को उक्त तथ्यो से अवगत करवाया, लेकिन राजकीय कर्मचारी होने से उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने की कार्यवाही करने का कहा तब प्रार्थीगण ने रेकर्ड दुरूस्त करने का भी निवेदन किया, लेकिन उक्त रेकर्ड दुरस्त करने से इन्कार कर दिया, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास मूल वाद व उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, क्योंकि वर्तमान खसरा नम्बर 127 की उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 446 में उत्तरी माठ के सहारे सहारे 0.1600 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की हक हकूक की है, जिस पर प्रार्थीगण का उनके पूर्वजो के समय से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, जबकि सेटलमेन्ट अधिकारीयो ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए खसरा नम्बर 127 की 0.1600 हैक्टर कृषि भूमि खसरा संख्या 446 में जोड़ दी गई, जिसका उनको कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था, उक्त भूमि में प्रार्थीगण की ट्यूबवेल वर्षो से खुदी हुई है तथा उसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि में फसल की आवपासी के लिये उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। यदि प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0पत्र विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 127 की उत्तरी तरफ 0.1600 है0 कृषि भूमि जो ख.नं. 446 में सम्मिलित कर दी गई है, उक्त 0.1600 है0 कृषि भूमि के उपयोग उपभोग के कब्जा काश्त में बाधा, अवरोध एवं दखल अन्दाजी पैदा न तो स्वयं कर न किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थीगण की ट्यूबवेल से पानी की आवपासी करने में बाधा अवरोध पैदा नहीं करे तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल की कार्यवाही नहीं करने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रा0पत्र हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रा0पत्र के पद सं0 1 प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर सावित करना, पद सं0 2 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा धंधेड़ी प0ह0 मण्डला में आई हुई स्थित है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज सुदा हैं। पद सं0 3 में प्रार्थीगण ने गत ख.नं. 240 रकबा 79 बीघा 5 बिस्वा तथा ख.नं. 240 रकबा 11 बिस्वा अपने पिता भूरसिंह पुत्र भैरूसिंह के नाम की होना बताया है, जो स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर सावित करे। उक्त गत ख.नं. 240 से नये ख.नं. 127, 127, 147, 147/1, 151 बनना बताया है तथा गत ख.नं. 241 से वर्तमान ख.नं. 149, 150

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बनना बताया है, जो खसरा मिलान से साबित है। शेष तथ्य प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। पद सं0 4 में प्रार्थीगण ने गत खसरा के नक्शा एवं वर्तमान खसरा के नक्शे के मिलान में परिवर्तन होना बताया तथा गत ख.नं. 240 की 16 एयर जमीन ख.नं. 446 में मिलाने के कथन किए है, जो प्रार्थीगण दस्तावेज साक्ष्य से साबित करें। पैरा सं0 5 व 6 कानूनी होना बताया हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 127 की उत्तरी तरफ 0.1600 है0 कृषि भूमि जो ख. नं. 446 में सम्मिलित कर दी गई है, उक्त 0.1600 है0 कृषि भूमि के उपयोग उपभोग के कब्जा काश्त में बाधा, अवरोध एवं दखल अन्दाजी पैदा न तो स्वयं कर न किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थीगण की ट्यूबवेल से पानी की आवपासी करने में बाधा अवरोध पैदा नहीं करे तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल की कार्यवाही नहीं करने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार सोजत पर गौर व मनन किया। वस्तुतः वादग्रस्थ कृषि भूमि में पक्षकारो के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों व गवाहो के बयान कलमबद्ध करके गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में वाद निर्णय तक यदि मौके व रेकर्ड की स्थिति में बदलाव होता हैं। तो निश्चित ही वाद बहुलियता बढेगी। पत्रावली पर उपलब्ध शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता हैं। लिहाजा वाद निर्णय तक वादस्थ भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल की कार्यवाही नहीं करने हेतु अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा ग्राम धन्धेड़ी पटवार हल्का मण्ड़ला तहसील सोजत के प्रार्थीगण के ख.नं. 127 की उत्तरी तरफ ख.नं. 446 कृषि भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने, प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करने तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल की कार्यवाही नहीं करने हेतु अप्रार्थी को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 03/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)